NON RBA LETTER

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

G20 भारत 2023 INDIA

No.2016/AC-II/01/06/CRIS Dated22.02.2023

General Managers,
All Zonal Railways and Production Units.

Sub: **Process of flagging GST Input Tax Credit (ITC) Transaction.**
Ref: 1. Railway Board's letter no.2018/AC-II/1/14 dated 26.03.2018.
2. Railway Board's letter no.2016/AC-II/01/06/CRIS dated 04.11.2020.

In order to ensure a proper digital system for capturing of GST Input Tax Credit, it is important that the ITC flags, which are dependent on end use of the material, are captured at the initialstage itself. The flags are explained below:

S. No.	ITC Flag	Description
1.	T1	No ITC (Input goods or services used exclusively for non-business expense)
2.	T2	No ITC (Input goods or services used exclusively for supplying exempt goods or services)
3.	T3	No ITC (Input goods or services, ITC of which is blocked or restricted)
4.	T4	Full ITC (Input goods or services used exclusively for supplying taxable goods or services)
5.	C2	Partial ITC (Input goods or services used for supplying both taxable as well as exempt supplies)

Guidelines on selection of the above flags on railways have been detailed in letters referred above. These may be followed scrupulously. The following process for capturing of ITC claims should be followed:

i. For all demands (stock and non-stock), appropriate GST ITC Flags are to be mandatorily captured at the stage of demand generation by indenter based on the end use of the item.

ii. In case any need for re-assessment of predefined flag is felt by the indenter at a later stage, it may be re-assessed and re-flagged to appropriate GST-ITC Flag.

iii. GST ITC flag shall be chosen in consultation with associated accounts and GST consultants engaged at Zonal level. A suitable process for the same may be evolved by the Railways.

22/02/23

2. CRIS to make suitable changes in IREPS, IMMS, UDM and IPAS as required for putting in checks to ensure the above scheme.

(VIPUL TRIPATHI)
Director(Accounts)
Railway Board

22.02.23
(CHANDAN KUMAR)
Director Rly. Stores/IC
Railway Board

Copy to: 1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units.
2. MD, CRIS.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

नॉन आरबीए पत्र

सं. 2016/एसी-II/01/06/क्रिस

नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2023

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषयः जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन फ्लैग्गिंग की प्रक्रिया
संदर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.03.2018 का पत्र सं. 2018/एसी-II/1/14
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.11.2020 का पत्र सं. 2016/एसी-II/01/06/क्रिस

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैप्चर करने के लिए एक समुचित डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह महत्वपूर्ण है कि आईटीसी फ्लैग, जो सामग्री के अंतिम उपयोग पर निर्भर हैं, प्रारंभिक चरण में ही कैप्चर किए जाते हैं। फ्लैग का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईटीसी फ्लैग	विवरण
1.	टी1	कोई आईटीसी नहीं (इनपुट वस्तुएं या सेवाएं, जो विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक व्यय के लिए उपयोग की जाती हैं।)
2.	टी2	कोई आईटीसी नहीं (इनपुट वस्तुएं या सेवाएं, जो विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती हैं)
3.	टी3	कोई आईटीसी नहीं (इनपुट वस्तुएं या सेवाएं, जिनकी आईटीसी ब्लॉक या प्रतिबंधित है)
4.	टी4	पूर्ण आईटीसी (इनपुट वस्तुएं या सेवाएं, विशेष रूप से कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती हैं)
5.	सी2	आंशिक आईटीसी (इनपुट वस्तुएं या सेवाएं, जो कर योग्य और छूट प्राप्त दोनों की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती हैं)

उपरोक्त उल्लिखित पत्रों में रेलों पर उक्त फ्लैग के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इनका विवेकपूर्ण ढंग से पालन किया जाए। आईटीसी दावों को कैप्चर करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:

i. सभी मांगों के लिए (स्टॉक और गैर-स्टॉक), मांगकर्ता (इन्डेंटर) द्वारा वस्तु के अंतिम उपयोग के आधार पर मांग सृजन के समय उचित जीएसटी आईटीसी फ्लैग अनिवार्य रूप से कैप्चर किए जाने हैं।

ii. यदि बाद में मांगकर्ता को पूर्वनिर्धारित फ्लैग के पुन: मूल्यांकन की कोई आवश्यकता महसूस होती है तो इसका पुन: मूल्यांकन किया जा सकता है और उचित जीएसटी-आईटीसी फ्लैग के लिए री-फ्लैग किया जाएगा।

iii. जीएसटी आईटीसी फ्लैग का चयन, क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त संबद्ध लेखों और जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से किया जाएगा। इसके लिए रेलों द्वारा एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार की जाए।

2. क्रिस द्वारा यथा आवश्यक जांच करने के लिए आईआरईपीएस, आईएमएमएस, यूडीएम और आईपीएएस में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएं ताकि उपरोक्त योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक (लेखा)
रेलवे बोर्ड

(चंदन कुमार)
निदेशक रेल भंडार/आईसी
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रबंध निदेशक, क्रिस।